उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
19–सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 प्रसामान्यीकृत अंक प्रकाशन।

संख्याःपीआरपीबी–बी (आरक्षी पीएसी एवं अन्य संवर्ग) 07/2025 दिनांकःनवम्बर 16 ,2026

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 के अन्तर्गत कुल 32,679 पदों को भरे जाने हेतु समांक विज्ञप्ति दिनांकित 31–12–2025 में उल्लिखित चयन प्रकिया पूर्ण करते हुए बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर अन्तिम चयन परिणाम दिनांक 14–10–2026 को घोषित किया जा चुका है।

2– इस क्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत भर्ती में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत अंक प्राप्त करने का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर दिनाक 16–11–2026 से दिनांक 15–12–2026 तक उपलब्ध रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तथापि, विशेष परिरिथतियों में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जाने पर उनके प्रसामान्यीकृत अंक की सूचना बोर्ड द्वारा ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकेगी।

3– अभ्यर्थी अपना प्रसामान्यीकृत अंक देखे जाने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन संख्या एवं जन्म तिथि अंकित कर पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा "Click here for normalised Score" के टैब पर क्लिक करके अपने पंजीकृत ई–मेल आईडी पर प्रसामान्यीकृत अंक प्राप्त किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकृत ई–मेल अकाउंट सक्रिय रखें।

4– यदि किसी अभ्यर्थी को अपना प्रसामान्यीकृत अंक देखने में कोई तकनीकी कठिनाई आती है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पडेस्क नम्बर के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करा सकता है।

5– प्रसामान्यीकृत अंकों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूच्य है कि यद्यपि इसे तैयार करने एवं वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिये बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

6– इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही सूचनाओं के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

16/11/26

अपर सचिव (भर्ती),
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।